फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना राजेपुर

दिनांक :- 17.11.2026

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/26 धारा 137(2)/ 87/64 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/26 धारा 137(2)/ 87/64 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त **नसीम पुत्र नशीर निवासी मोहल्ला शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़** को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. नसीम पुत्र नशीर निवासी मोहल्ला शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- – दिनांक 30.10.2026 को वादी की लिखित तहरीर वादी की नाबालिग बहन के बिना बताये घर से चले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। वादी की तहरीर के आधार पर थाना राजेपुर पर मु0अ0सं0 203/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अपहर्ता की सकुशल बरामदगी कर, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीडिता एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में अभियुक्त नसीम पुत्र नशीर निवासी मोहल्ला शमशेर खानी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ को गिरफ्तार करते हुए उपरोक्त मुकदमें मे धारा-87/64 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त नसीम ने पूछने पर अपने जुर्म से इकबाल करते हुए, अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त नसीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0स0-203/26 धारा 137(2)/ 87/64 बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

02 .मु0अ0सं0-316/19 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 गौरव कुमार शुक्ल।
3. का0 पवन कुमार।
4. का0 शशांक पाण्डेय।

मीडिया सेल फतेहगढ़।